मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 30/2018 हन्सराज पुत्र भादर राम जाति सोनी निवासी चक 10एसपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

23/5/18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राकेश कुमार को बार बार अवाज लगवाई गई किन्तु इसके बावजूद न तो प्रार्थी उपस्थित आया और न ही उसके अभिभाषक श्री राकेश कुमार उपस्थित आये जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अब इस प्रकरण से कोई दिलचस्पी नही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अतिरिक्त जिलाधीश, सूरतगढ़ के न्यायालय मे लम्बित अपील संख्या 131/2017 अनवानी हंसराज बनाम राजस्थान सरकार मे प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना नहीं है, इसलिये उक्त अनवानी अपील को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया जावे ।

चूकि वकील प्रार्थी बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये है और न ही उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अब इस मामले मे कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिये यह प्रार्थना पत्र अदम हाजरी /अदम पैरवी खारिज किया जाता है ।

आदेश की एक प्रति अधिनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर होवे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनाक 23–5–18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर